तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज दिलीप कुमार बिरानी निवासी भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०) बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, भीलवाड़ा प्रकरण संख्या :– 09 / 2024 जीसीएमएस नं. :– 2024 / 41 (अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13-3-24	–: निर्णय :– 1. पत्रावली आज पेश हुई। उभयपक्ष अनुपस्थित। 2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन–पत्र दिनांक 13.11.2023 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, भीलवाड़ा से चाही गई थी, परन्तु रेस्पोडेंट के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर रेस्पोडेंट से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है। 9. लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, भीलवाड़ा ने जरिये पत्रांक / रसद / आरटीआई / 2024 / 363 दिनांक 21.02.2024 से इस न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना डिजिटल जारी होने के कारण कार्यालय में अलग से रिकॉर्ड संधारण नहीं किया जाता है एवं प्रार्थी पब्लिक डोमेन से संबंधित सूचना प्राप्त कर सकता है इस संबंध में अपीलार्थी को कार्यालय के पत्रांक 239 दिनांक 17.10.2023 तथा 301 दिनांक 11.01.2024 से पूर्व में सूचना दी जा चुकी है। 3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, भीलवाड़ा द्वारा अपीलार्थी को प्रेषित सूचना / जवाब के विपरीत अपीलार्थी की ओर से किसी प्रकार की आपत्ति / प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रेषित प्रत्युत्तर अपीलार्थी को प्राप्त हो गया है तथा वह रेस्पोडेण्ट के जवाब से संतुष्ट है। 4. अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। 5. निर्णय आज दिनांक 13-3-24 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। (नमित मेहता) प्रथम अपीलीय अधिकारी लोक सूचना एवं जिला कलक्टर, भीलवाड़ा जिला कलक्टर भीलवाड़ा न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)	